

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं.सं.-02/परी0-01(राज0)-37/2017-

शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक-

दिनांक-01.10.2021 को माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही जो पर्षदीय पत्रांक-1266, दिनांक-05.10.2021 द्वारा निर्गत है, के कार्यावली संख्या-04 के अन्यान्य 03 में भूलवश कम्प्यूटर की विभागीय परीक्षा के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान NIELIT के साथ ही राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान किया जाना टंकित हो गया है, जिसके स्थान पर NIELIT अथवा राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा आयोजित किसी एक संस्थान से कम्प्यूटर की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत रहेगें।

केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद
के आदेशानुसार

ह0/-

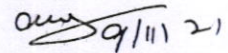
अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/परी0-01(राज0)-37/2017-1387

पटना, दिनांक- 09-11-2021

प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपाई), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/विधि परामर्शी-सह-विधि सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।